न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–टि.ए.33/2020
पंजीयन दिनांक 30.09.2020

(1). बालू पिता भैरा जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(2). शंकरलाल पिता भैरा जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(3). सोहनी पुत्री भैरा जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(4). कमला पिता भैरा जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांटगण

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम

(1). चुन्नीलाल पिता चतरभुल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(2). बालु पिता चतरभुज जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(3). उदयराम पिता रतनलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(4). जगदीश पिता रतनलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(5). भूमिधारी तहसीलदार भदेसर, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 19/2018 निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.09.2020

उपस्थित वक्त बहस–(1). छोगालाल जाट –अधिवक्ता अपीलांट
(2). चन्दनमल जणवा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2
(3). गोपाललाल सालवी– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4
(4). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 20.10.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की कृषि आराजीयात मौजा दौलतपुरा तहसील भदेसर की खाता संख्या 19 मे दर्ज आराजी संख्या 622 रकबा 1. 43 कृषि भूमि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है जिस पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर आने-जाने का कोई रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज नहीं है तथा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 एवं प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के पूर्व के खातेदार को उक्त आराजी संख्या 622 पर आने-जाने हेतु आराजी संख्या 604 के पश्चिम-दक्षिणी कोने की ओर स्थित आम रास्ते से होकर आराजी संख्या 604 व आराजी सख्या 605 विपक्षीगणों के खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी के दक्षिणी मेड से होकर पश्चिम से पूर्व होते हुए अपनी आराजी पर आते जाते है । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 अपने बाप-दादाओं के समय से उक्त कृषि आराजीयात की मेड़ पर से अपने खातेदारी की कृषि आराजीयात मे कृषि यंत्र लाते ले जाते रहे है। तथा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 व प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के पूर्व के खातेदार की आराजीयात पर आने-जाने हेतु यही एकमात्र रास्ता है जो आराजी संख्या 604 के पश्चिम-दक्षिणी कोने की ओर स्थित आम रास्ते से होकर आराजी संख्या 604 व आराजी संख्या 605 के पश्चिम से पूर्व की ओर होता हुआ प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की आराजी पर आने जाने का उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे विपक्षीगण अपीलांटगण को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गए। तहसीलदार भदेसर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.2020 को प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की आराजीयात पर आने जाने हेतु रास्ता आराजी संख्या 604 रकबा 1.56 हैक्टेयर जो विपक्षी संख्या 4 अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज है इस आराजी के दक्षिण मेड़ पर 4 गुणा 184 कुल 736 वर्गमीटर भूमि एवं आराजी संख्या 605 रकबा 1.00 हैक्टेयर भूमि जो कि विपक्षी संख्या 1 व 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...म, जगदीश पिता रतनलाल जाट के नाम खातेदारी मे दर्ज है उक्त आराजी के ...णी मेड पर 4 गुणा 140 कुल 560 वर्गमीटर कुलिया 1296 वर्गमीटर अर्थात 0.13 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित नक्शे अनुसार सार्वजनिक रास्ते के रूप मे राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 3 से 6 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 3 से 6 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 3 से 6 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जिस पर अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 3 से 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब कर मौका रिपोर्ट पर अपीलांटगण विपक्षीगण को आपत्ति व ऐतराज प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किये बिना व अपीलांटगण को सुने बिना ही अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 3 से 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो अपने आप मे अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की कृषि आराजीयात पर आने-जाने हेतु वैकल्पिक कदीमी रास्ता अवस्थित है व उसी रास्ते से रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण स्वंय की कृषि आराजीयात पर आते-जाते है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए निर्णय व आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी संख्या 604 व 605 मे से 0.13 हैक्टेयर भूमि को रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने का निर्णय अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया परन्तु अपने निर्णय मे उक्त रास्ते की भूमि के एवज मे खातेदारान को मुआवजे के रूप मे प्रदान की जाने वाली राशी का अंकन नहीं किया गया है व मुआवजा राशी तय करने के लिए तहसीलदार को अधिकृत किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश अस्पष्ट होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 3 से 6 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 10.09.2020 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...वक्ता रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार भदेसर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण सख्या 1 व 2 की कृषि आराजीयात पर आने-जाने हेतु रास्ते के संबंध मे मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया जिसकी अनुपालना मे तहसीलदार भदेसर ने को मौका रिपोर्ट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की। उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की कृषि आराजी पर आने जाने हेतु एकमात्र निकटतम व सुविधाजनक व आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता अपीलांटगण विपक्षीगण की आराजीयात मे विद्यमान होने से उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत होने से अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 3 से 6 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 3 से 6 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधि सम्मत होना बताकर अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 3 से 6 की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलांटगण विपक्षीगण सम्मन नोटिस की पालना मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु तहसीलदार भदेसर को कमिश्नर नियुक्त किया गया जिसकी पालना मे तहसीलदार भदेसर कमिश्नर द्वारा मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तैयार करा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध मौका रिपोर्ट मे प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने हेतु एकमात्र, निकटतम, सुविधाजनक व आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 3 से 6 एवं विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 604 व 606 मे वांछित रास्ता विद्यमान होने से अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 3 से 6 की आराजीयात मे रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे बिलानाम रास्ते के रूप मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया है। परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे अपीलांट्गण विपक्षीगण को रास्ते के उपयोग मे आई भूमि की एवज मे कितनी मुआवजा राशि देय होगी इसका निस्तारण करने के लिए तहसीलदार भदेसर को अधीकृत किया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-ए के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-ए मे रास्ते के रूप मे उपयोग मे आई भूमि की मुआवजा राशि भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ही तय करेगा। ऐसी स्थिति मे मुआवजा राशी तय करने के लिए तहसीलदार को नियुक्त किया है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिपूर्ण नहीं होने से अपीलांट्गण विपक्षीगण सख्या 3 से 6 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्गण विपक्षीगण 3 से 6 आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण सं. 19/2018 निर्णय व आदेश दिनांक 10.09.2020 व संशोधित निर्णय व आदेश दिनांक 07.01.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रास्ते के रूप मे उपयोग मे आई भूमि की मुआवजा राशी स्वयं अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित करते हुए अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 02.12.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्य प्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़